

# EARNED LEAVE PROFORMA

(See supplementary Rule-216)

छुट्टी की अर्जी का फॉर्म

(अनुपूरक नियम 216 देखिए)

Note:- Item 1 to 11 must be filled in by all applicants whether gazetted or non gazetted.

टिप्पणी मद संख्या 1 से 11 प्रत्येक को भरना चाहिए, चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित।

1. Name of the applicant .....  
प्रार्थी का नाम
2. Leave Rule Application. ....  
लागू होने वाली छुट्टी नियमावली
3. Post held. (पद) .....
4. Department/office/Section. ....  
विभाग, कार्यालय और अनुभाग
5. Pay (वेतन) .....
6. Whether house allowance conveyance for other compensatory Allowance drawn in the present post. ....  
वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया भता, भता या अन्य प्रतिकर भते
7. Nature and period of leave which leave in an applied the date from which required. ....  
मांगी गई छुट्टी की किस्म, अवधि और उसके शुरू होने की तारीख
8. Sunday & 2<sup>nd</sup> Saturday and other Gazetted holidays if any proposed to be prefixed suffix leave .....  
रविवार और छुट्टी के दिन, यदि कोई हो जिन्हें छुट्टी से पहले/बाद में जोड़ना चाहते हैं।
9. Reason for which leave is applied for. ....  
छुट्टी का कारण
10. Date of return from last leave and the nature and period of that leave. ....  
पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख और उस छुट्टी की किस्म तथा अवधि
11. I proposed/do not propose to avail myself of leave travel connection for the block..... during the ensuring leave. ....  
मेरा विचार आगामी छुट्टी में ..... के खण्ड वर्षों के लिए छुट्टी यात्रा का रियायत लेने को है/नहीं है।
- 12(a) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay commuted leave and that admissible during leave on half average pay/half pay leave which would not have been admissible had to provide rule 81b(ii), 11(x)(iii) of the revised leave rules noty been applied in the event of my retirementfrom service at the end of during the currency of leave. ....  
मैं वचन देता हूँ कि औसतन वेतन छुट्टी परिवर्तित छुट्टी की अवधि में लिए गये छुट्टी वेतन और आधे औसतन वेतन/अर्ध वेतन की छुट्टी मिलने वाले के अन्तर की उस रकम को वापिस कर दूंगा जो छुट्टी की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान मेरे सेवा निवृत्त होने की स्थिति मे मूल नियम 81 (ख) संशोधित छुट्टी नियमावली,1933 के नियम 11 (x) (ii) के लागू होने पर अनुमत्य न होती।
- (b) I undertake refund of the leave salary drawn during leave not due which would not have been admissible had FR 81(c) Rule 11(d) of the revised leave rule 1933 not been applied on me. ....  
मैं वचन देता हूँ कि मेरे स्देच्छा से सेवा निवृत्त होने या सेवा से त्याग पत्र देने तक यदि मैं कम से कम आधे वेतन की उतनी छुट्टी अर्जित न कर सकूँ जितनी अग्रिम छुट्टी मैंने ली है तो अग्रिम छुट्टी के दौरान जो मूल नियम (81) X संशोधित छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम घ के लागू न किये जाने पर मुझे न मिल पाती, मिले छुट्टी के वेतन को वापिस कर दूंगा।

Dated:-\_\_\_\_\_

Address while on leave

Signature of applicant

प्रार्थी के हस्ताक्षर।